तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए
18.11.2025		

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। पूर्व में दिनांक 27.10.2025 को प्रकरण में बहस सुनी गई थी।

वकील प्रतिवादी/प्रतिप्रार्थी संख्या 5 ने एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 07 नियम 11 सीवीसी इस आशय का पेश किया है कि–

1. वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 जो एक ही परिवार के हैं, ने आपस में षडयंत्र रचकर मुझ प्रतिवादी को अनावश्यक रूप से परेशान करने के कारण वादपत्र प्रस्तुत किया है, जो निरस्तनीय है।
2. मुझ प्रतिवादी ने प्रतिवादी नम्बर 01 रमेश पुत्र सुखा बैरवा निवासी डिडायच, से उसकी कब्जे काश्त व तनहा खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1397/202 रकया 2000 है०, खसरा नम्बर 1398/203 रकबा 0.2400है०, खसरा नम्बर 1399/204 रकबा 0. 16है० सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 207 रकबा 0.0400 है० खसरा नम्बर 208 रकबा 0. क्नज 1200है० एवं खसरा नम्बर 205 रकबा 0. 11 है० वाके ग्राम डिडाराच में हिस्सा 1/32 का 15.05.2025 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया जिसका नामान्तकरण संख्या 1079 दिनांक 22.05.2025 को खुलकर प्रक्रियाधीन हो गया और उसका जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 में नोट अंकित हो गया।
3. वादीगण निहायत ही चालाक किस्म के व्यक्ति है जिन्होंने प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 से आपस में षडयन्त्र रचकर दिनाक 26.05.2025 की कपोल कल्पित बिनाए दाम अंकित करते हुऐ दिनांक 28.05. 2025 को उक्त वाद पत्र प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 व अन्य के विरुद्ध वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है।
4. मुझ प्रतिवादी ने दावा दायरी से पूर्व प्रतिवादी नम्बर 01 से उसकी कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है जिसकी वादीगण को पूर्णतया जानकारी है। इसलिए जब तक वादीगण मुझ प्रतिवादी के पक्ष में हुऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाऐ तब तक यह बाद पत्र चलने योग्य नही होकर निरस्त होने योग्य है।
5. वादीगण ने उक्त बाद पत्र के मद नम्बर 02 में आराजीयात का पैत्रिक होने पर आपस में बंटवारा होने पर जरिए नामान्तकरण संख्या 507 दिनांक 01.09.2015 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 01 के हिस्से में खसरा नम्बर 1397/202, 1398/203, 1399/204 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6000 है० वाके ग्राम डिडायच दर्ज होने का कथन किया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात पैत्रिक होने पर तकासमा होने से प्रतिवादी नम्बर [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है और जब [illegible] प्रतिवादी नम्बर 01 की स्वअर्जित हो [illegible] को उक्त आराजीयात के रहन बेचान [illegible] प्राप्त है। और इसी कारण मुझ प्रतिवादी ने प्रतिवादी नम्बर 01 की खातेदारी एवं कब्जा देखकर ही उसकी आराजीयात जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। इसलिए उक्त बाद पत्र BARRED BY LAW होने के कारण चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.19 10:49:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए

6. मुझ प्रतिवादी ने प्रतिवादी नम्बर 01 से आराजी खसरा नम्बर 1397/202.1398/203,1399/204 सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 207. 208.205 का हिस्सा 1/32 जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15. 05.2025 को खरीद किया है परन्तु वादीगण ने खसरा नम्बर 1397/202,1398/203.1399/204 के सम्बन्ध में ही वाद पत्र प्रस्तुत किया है बाकी खरीद की गई भूमि के सम्बन्ध में दावा प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे पूर्णतया स्पष्ट है कि बादीगण मुझे प्रतिवादी को अनावश्यक रुप से परेशान करना चाहते है इसलिए दावा चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पत्र BARRED BY LAW होने से चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

वकील वादी/प्रार्थी ने वकील प्रतिप्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 05 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश किया है कि–

1. प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में प्रतिवादी संख्या 01 ने उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1397/202 रकबा 0.20 है, खसरा नंबर 1398/203 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 1399/204 रकबा 0.16 है0 सम्पूर्ण एवं खसरा नंबर 207 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 205 रकबा 0.11 है0, वाके ग्राम डिडायच में हिस्सा 1/32 का विक्रय पत्र दिनांक 15.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 5 मणीन्द्र बैरवा को नहीं किया, क्योंकि प्रवितादी संख्या 01 रमेश बैरवा की मानसिक दशा विगत 10 वर्षों से ठीक नहीं है एवं रमेश बैरवा अपना भला बुरा समझने में अक्षम है एवं संविदा करने में सक्षम नहीं है। प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा यदि विक्रय पत्र स्वछन्द हाथों से करवाया है तो प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा तथाकथित विक्रय पत्र में प्रतिफल किस माध्यम से अदा किया उसका विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। यदि प्रतिवादी संख्या 05 ने जरिये चेक भुगतान किया है तो उक्त चैक भुगतान का स्अेटमेंट न्यायालय में पेश किया जाना चाहिये।
2. अप्रार्थी/वादीगण द्वारा संयुक्त हिन्दु परिवार की कृषि भूमि जो प्रतिवादी संख्या 01 के बुजुर्गान सुखा पुत्र लखमा बैरवा निवासी डिडायच की छोडी हुई कृषि भूमि है, का स्वयं की मानसिक दशा ठीक नहीं होने एवं मनोचिकित्सक के पास विगत 10 वर्षों से इलाजरत होने के कारण उक्त पैतृक कृषि भूमि का मौखिक विभाजन अप्रार्थीगण/वादीगण एवं प्रतिवादी सं[illegible] मध्य कर दिया एवं सभी उत्तराधिकारी अपने–[illegible] हि[illegible] पर काबिज हैं। परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द करने एवं अ[illegible] नुकसान पहुंचाने हेतु प्रयासरत होने के कारण वादीगण द्वा[illegible] उपरोक्त उनवानी वादपत्र मय स्थगन प्रार्थना पत्र के न्यायालय में पेश किया है, जो सही है। प्रतिवादी संख्या 5 ने पदीय कर्त्तव्यों का दुरूपयोग कर मानसिक अवसादग्रस्त व्यक्ति से बिना प्रतिफल अदा किये ही फर्जी तरीके से विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया है, एवं उक्त फर्जी एवं कूटरचित विक्रय पत्र दिनांक 15.05.2025 को निरस्त करवाने हेतु एक वादपत्र माननीय सिविल न्यायालय, चौथ का बरवाड़ा में पेश किया है, जो प्रतिवादीगण के जवाब

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.19 10:49:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए

हेतु नियत है।

3. प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रतिवादी संख्या 05 से छलकपट द्वारा वादी / अप्रार्थी के बुजुर्गान द्वारा छोड़ी हुई कृषि भूमि का फर्जी तरीके से किये गये विक्रय पत्र की पालना में कोई कब्जा प्राप्त नहीं किया है। यदि विक्रय पत्र सही तरीके से पंजीबद्ध किया जाता तो प्रतिवादी संख्या 05 का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा होना चाहिये था, परन्तु आज भी प्रतिवादी संख्या 05 मणीन्द्र बैरवा का वादीगण की भूमि पर कब्जा नहीं है।
4. वादग्रस्त आराजीयात पैतृक आराजीयात है एवं प्रतिवादी संख्या 01 की की स्वअर्जीत भूमि न होकर उसके बुजुर्गान सुवा पुत्र लखमा बैरवा की छोड़ी हुई कृषि भूमि है एवं प्रतिवादी संख्या 01 की मानसिक दशा विकृत है एवं प्रतिवादी संख्या 01 ने उपरोक्त भूमि का मौखिक बंटवारा वादीगण / अप्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 में मध्य कर दिया था एवं आज भी उपरोक्त भूमि पर मुताबिम बंटवारा काबिज है। प्रतिवादी संख्या 05 का कोई कब्जा नहीं है। प्रतिवादी संख्या 05 ने प्रतिवादी संख्या 01 से न तो क्रय की गई भूमि का कब्जा प्राप्त किया है और न ही प्रतिफल अदा किया है, जो विक्रय पत्र की फर्जीयत व कुटरचना को स्पष्ट दर्शित करता है।
5. वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा इलाज के दौरान कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने की चर्चा करने पर न्यायालय में दावा पेश किया था एवं प्रतिवादी संख्या 05 ने गुप्त तरीके से बिना प्रतिफल दिये ही विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया है, जिसकी जानकारी वादीगण / अप्रार्थीगण को नहीं थी। परन्तु प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा न्यायालय में आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश करने पर हुई, जिस पर वादीगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 15.05.2025 को नकल लेकर माननीय सिविल न्यायालय, चौथ का बरवाड़ा में वादीपत्र पेश किया हुआ है, जिसमें सभी प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी है, इस कारण वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्ध सही तथ्यों पर दावा पेश किया है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से विशेष हर्जे–खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

मैंने प्रतिप्रार्थी / अप्रार्थी संख्या 05 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी, जिन्होने दौराने बहस प्रस्तुत [illegible] पत्र एवं जवाब में अंकित तथ्यों का दोहरान किया। अप्रार्थी / वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी [illegible] का प्रस्तुत किया है। जिसमें अप्रार्थी / वादी द्वारा विवादित आराजीयात का विधिवत तकासमा करने हेतु निवेदन किया है, जबकि स्थायी जमाबंदी 20.05.2025 से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1397 / 202, 1398 / 203, 1399 / 204 का पूर्व में तकासमा हो चुका है और विवादित आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 01 के खाते में अंकन हो चुका है। इस प्रकार विवादित आराजीयात का पूर्व में ही तकासमा हो जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.19 10:49:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के कारण पुनः तकासमा नहीं किया जा सकता है। तकासमा हो जाने के कारण प्रत्येक खातेदार के खाते में आने वाली आराजी उसकी स्वअर्जित आराजी होती है, जिसके रहन, वय एवं स्थानानान्तरण का अधिकार खातेदार हो प्राप्त हो जाता है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कर खातेदारी अधिकार समाप्त करने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को नहीं है। इस प्रकार वादपत्र विधि विरूद्ध प्रतीत होता है, जो कि आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता की परिधी में आता है। अतः मेरी विनम्र राय में वकील प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 05 का प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.19 10:49:18 IST
Reason: SelfAttested